# यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-42/2019

अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3

सरकार

बनाम

लईक अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-कुरासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया (बैरगाछी), जिला-अररिया

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|

06.04.2019

पुलिस अधीक्षक, अररिया ने अपने पत्रांक 134/चु0को0, दिनांक 25.03.2019 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 1222/उपा0, दिनांक 23.03.2019) को मूल में संलग्न करते हुए कुख्यात अपराधकर्मी लईक अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया (बैरगाछी), जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया है।

पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 134/चु0को0, दिनांक 25.03.2019) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अपराधकर्मी लईक अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया (बैरगाछी), जिला-अररिया एक असामाजिक तत्व है, जिसने अपने कार्यो से थाना क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, 2019 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने अपराधिक पृष्ठभूमि के कारण लोगों के बीच भय का माहौल बनाकर कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर सकते है। जिससे विधि-व्यवस्था भंग होने की पुरी संभावना है।

अपराधकर्मी लईक अहमद का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या-279/16, दिनांक 18.05.16, धारा-147/148/149/342/323/324/307/332/333/337/338/353/427 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम।
2. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या-284/16, दिनांक 19.05.16, धारा-147/148/149/341/323/324/325/326/307/379 भा0द0वि0।

अररिया जिला में आसन्न लोक सभा आम चुनाव, 2019 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी **लईक अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया (बैरगाछी), जिला-अररिया** के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है।

उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक **26.03.2019** द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी लईक अहमद, को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से हाजिरी दी गई। वकालतनामा के साथ कारण-पृच्छा जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी लईक अहमद को सुना। पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त एवं उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं बैद्यनाथ यादव, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी) (1) के अन्तर्गत ये ''असामाजिक तत्व'' हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि संबंधित अपराधकर्मी **दिनांक 07.04.2019 के पूर्वाहन से दिनांक 23.04.2019** के पूर्वाहन तक सप्ताह में दो दिन **(सोमवार तथा गुरुवार)** पलासी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा **थानाध्यक्ष, पलासी** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि लोक सभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। इसे संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे

तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ा नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 717 / विधि, दिनांक 06.4.2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 717 / विधि, दिनांक 06.4.2019

प्रतिलिपि : लईक अहमद, पे0-स्व0 तजमुल, सा0-करासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया (बैरगाछी), जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)